BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

मुख्यमंत्री (Chief Minister)

मुख्यमंत्री – संघ की तरह राज्यों में भी संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। जिस प्रकार केन्द्र में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है उसी प्रकार राज्य में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। अतएव राज्य की मन्त्रिपरिषद् का प्रधान मुख्यमंत्री होता है। संविधान के अनुसार विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

योग्यताएँ एवं कार्यवधि

मुख्यमंत्री पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएँ होना आवश्यक है :–

1. भारत का नागरिक होना आवश्यक है।
2. 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
3. विधानमण्डल के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है।

सामान्यतयाः मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री की कार्यकाल विधानसभा के बहुमत के समर्थन पर भी निर्भर करता है।

मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियॉ

1. मुख्यमंत्री, राज्य की मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से ही मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त तक अपने पद पर बने रहते हैं।

2. मुख्यमंत्री मंन्त्रिपरिषद् की बैठक बुलाता है एवं उसकी अध्यक्षता करता है।
3. मुख्यमंत्री एक ओर शासन का प्रधान होता है तो दूसरी तरफ वह विधानसभा का नेता भी है। विधानसभा के नेता के रूप में उसे कानून निर्माण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है जिसके कारण काफी हद तक कानून निर्माण उनकी इच्छानुसार ही होते हैं।
4. मुख्यमंत्री के द्वारा मंत्रियों के बीच विभागों का बॅटवारा किया जाता है। वह अपनी इच्छानुसार किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग आवंटित कर सकता है एवं परिवर्तित भी कर सकता है।
5. मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद् की बैठक की तिथि एवं स्थान निर्धारित करता है। बैठक के लिए एजेण्डा या कार्यसूची मुख्यमंत्री द्वारा ही तैयार किया जाता है।
6. राज्य की विकास नीतियों का निर्माता मुख्यमंत्री होता है तथा मुख्यमंत्री विकास व निवेश संबंधी समितियों की अध्यक्षता भी करता है। मुख्यमंत्री मन्त्रिपरिषद् के सदस्यों को उनके विभागों के संबंध में आवश्यक निर्देश दे सकता है।
7. राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श से उच्च शासनाधिकारियों यथा– महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है।
8. मुख्यमंत्री विधानसभा संचालन में आई समस्याओं को सबके साथ मिलकर दूर करने का प्रयास करता है।
9. मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मन्त्रिपरिषद् के बीच कड़ी का काम करता है। मुख्यमंत्री का कर्त्तव्य है कि राज्य के प्रशासन और विधायन संबंधी जानकारी राज्यपाल को दे।
10. वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है।
11. मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता होता है और राज्य सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है।